

30 Marks

- अपना
- ① बाल मनोविज्ञान - [10 Marks]
  - ② जीवन कौशल - [10 Marks]
  - ③ शिक्षण कौशल - [10 Marks]

मुप TET, UPTET, CTET

By - SATYAM KUMAR

Notes - CDP

\* बाल मनोविज्ञान \*

- ① अधिगम के सिद्धान्त एवं शैक्षिक प्रयोग
- ② वैयक्तिक विभिन्नता
- ③ बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक
- ④ पठन कौशल का विकास
- ⑤ अधिगम हेतु वातावरण का स्वरूप
- ⑥ सीखने की तत्परता की पहचान
- ⑦ दिमागों हेतु शिक्षा के विशेष प्रवधान

STET-Aspirant - SATYAM

\* जीवन कौशल \*

- ① जीवन कौशल - अर्थ - परिभाषा एवं प्रकार
- ② अभिप्रेरणा
- ③ दृष्टि एवं सुलब्धता सेवका का प्रभावी प्रयोग
- ④ शिक्षक की भूमिकाएं "सुविधाप्रदाता, मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता, परामर्शदाता, अनुश्रवणकर्ता"
- ⑤ संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य
- ⑥ आकस्मिक आन्तरण एवं नीति

\* शिक्षण कौशल \*

- ① शिक्षण कौशल अर्थ - प्रकार
- ② आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज
- ③ शिक्षा के नवीन उपाय (class-36)
- ④ समारंशी शिक्षा
- ⑤ शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन
- ⑥ मापन एवं मूल्यांकन
- ⑦ पठन कौशल का विकास (class-50)



- \* वास्तव में शिक्षण कौशल को हम उस कला के रूप में परिभाषित करते हैं जिसका प्रयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। जब हम शिक्षण कौशल पर विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं पर विचार करेंगे।

परिभाषाएं -

1. एल. एन. गेज के अनुसार - शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग करके एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है।
2. डॉ. वी. के. पासी के अनुसार - शिक्षण कौशल छात्रों की सीखने में सुगमता प्रदान करने के विचार से सम्बन्ध की गयी शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है।
3. मैकिन्टर एव व्हाइट के अनुसार - शिक्षण कौशल शिक्षण सम्बन्धी व्यवहारों का समूह है वह स्वरूप है जो कक्षा में अंतर्क्रिया के माध्यम से उन परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं।

प्रमुख बिंदु -

1. कुछ शिक्षण के जनक डी. डब्ल्यू. एलन ने 14 शिक्षण कौशल माने हैं।
2. भारतीय विद्वान वी. के. पासी ने कुल 13 शिक्षण कौशल माने हैं।
3. NCERT ने कुल 7 शिक्षण कौशल माने हैं।
4. भारतीय विद्वान प्रा. जंगीय ने 20 शिक्षण कौशल माने हैं।

(1) \* प्रस्तावना कौशल (Introduction skills) -

1. विषय-वस्तु की संक्षिप्त में बताना
2. पूर्व ज्ञान से जोड़ना
3. छात्र में रुचि एवं जिज्ञासा पैदा करना
4. विषय-वस्तु को छात्र के जीवन से जोड़कर सीखने के लिए तैयार करना
5. शिक्षण का प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के तयार के नियम पर आधारित है।



(2)\* उद्देश्य कौशल (Purpose statement skills) :-

1. शिक्षण के उद्देश्यों की ध्यान में रखना।
2. शैक्षिक उद्देश्यों की ध्यान में रखना।
3. किसी खास भाग पर छात्र की प्रतिक्रिया/निष्पत्ति बनाने का उद्देश्य।
4. छात्र के व्यवहार में सुधार का उद्देश्य।
5. परीक्षा के लिए तैयारी कराने का उद्देश्य।

(3)\* व्याख्या कौशल (Explanation skills) :-

1. कठिन शब्दों की सरल व्याख्या देना।
2. जबरन पढ़ने पर उद्य. देकर समझाना।
3. किसी भाषा की जगह बालक को आसानी शब्दों में स्थानीय या उसकी देहाती भाषा में समझाना।
4. जरूरत पड़े तो बालक के परिवेश से जोड़कर समझाना।

(4)\* दृष्टान्त कौशल (Example skills) :-

\* दृष्टान्त कौशल उद्य. देने की कला है जिसके दौरान निम्न लिखित बातों का ध्यान रखें-

1. उद्य. सरल हो।
2. उद्य. बालक के दैनिक जीवन से जुड़ा हो।
3. निचली कक्षाओं में उद्य. मुक्त हो।
4. उद्य. की भाषा अर्थों में हो।
5. उद्य. विषयबस्तु से जुड़ा हो अर्थात् विषयबस्तु को समझाने में सहायक हो।
6. उद्य. दृष्टान्त पर्याप्त न हो।
7. उद्य. सटीक हो।

(5) शिक्षण सामग्री कौशल :-

- (1) शिक्षण सामग्री का जनक "फ्राबेल" को माना जाता है जबकि भारत में इसका जनक "महात्मा गान्धी" को माना जाता है।
2. शिक्षण सामग्री किसी विषयबस्तु को आसानी से समझाने में सहायक होती है।

इस लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग करते समय निम्न लिखित बिंदुओं का ध्यान दें।



3. शिक्षण सामग्री विषय वस्तु से जुड़ी हो
4. शिक्षण सामग्री बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो।
5. शिक्षण सामग्री ज्ञानात्मक से उपलब्ध हो और हो सके तो प्राकृतिक अवस्था में हो।
6. प्रयोग करने में सुरक्षित हो
7. अधिकतम स्तियों को जागृत करती हो।
8. काम में किफायती हो (ज्यादा महंगी न हो)

#### (6)\* रयाम पट्ट कौशल - (Black Board skills) :-

1. रयाम पट्ट को शिक्षक का सच्चा मित्र कहा गया है।
2. रयाम पट्ट के बाएँ खड़े हो और इसमें 4S का कोण बनाएँ।
3. रयाम पट्ट लेखन में स्पष्टता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
4. हो सके तो रयाम के बीच में लिखें।
5. नक्से, चार्ट, ग्राफ, आदि बनाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करें।
6. रयाम पट्ट को नीचे से ऊपर से नीचे की ओर पढ़ाएँ।
7. लिखने के बाद रयाम पट्ट को सच्ची तरह से साफ कर दें।

#### (7)\* उद्दीपन परिवर्तन कौशल - (Stimulus change skills) :-

1. शिक्षक को शिक्षण के दौरान अपने आप को एक एक स्थिर मुद्रा में नहीं रखना चाहिए बल्कि हाव-भाव आदि बदलना चाहिए एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। —
  - (i) विषयवस्तु के अनुसार चेंद्रे के हाव-भाव बनाएँ।
  - (ii) आवाज में उतार-चढ़ाव लाएँ।
  - (iii) पढ़ाने की मुद्रा तथा इशारे आदि में बदलाव लाएँ।
  - (iv) कुछ समय बाद विषय वस्तु में परिवर्तन करें।
  - (v) छात्र को उठ जाने पर खेलने का मौका दें।
  - (vi) बीच में मनोरंजन एवं हसानी पर भी ध्यान दें।

#### (8)\* पुनर्वर्तन कौशल - (Reinforcement skills) :-

1. अच्छे प्रदर्शन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना पुनर्वर्तन कौशल है जैसे -
  - (i) अच्छे प्रदर्शन के लिए शाबासी देना या प्रशंसा करना।
  - (ii) छात्रवृत्ति या कोई अन्य पुरस्कार देना।
  - (iii) कृतज्ञता देना (एक कक्षा को डेस्कटॉप उपकरण जैसे 6 कक्षा से 8 वीं तक)
  - (iv) किसी रयाम दिवस या अवसर पर सम्मानित करना
  - (v) मुद्रा में पढ़ने के लिए पुरस्कार देना।



### (9) पुनरावृत्ति कौशल

1. सीखी गयी विषय वस्तु छात्र की स्मृति से गायब न हो जाये इस लिए शिक्षक को पुनरावृत्ति कौशल का प्रयोग करना चाहिए जैसे-
  - (i) सप्ताह पर लिखायी गयी विषय वस्तु पर सप्ताह के अंत में परीक्षा लेना
  - (ii) लेच-2 में पिछले अध्यापकों से मौखिक प्रश्न पूछना
  - (iii) पुनरावृत्ति के लिए बह कार्य देना।

### (10) संप्रेषण कौशल - (Communication skills) :-

1. कक्षा में शिक्षक-शिष्याधीन दोनों ही विषय वस्तु पर चर्चा करें।
2. कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने, भ्रम दूर करने आदि का मौका देकर कक्षा में
3. कक्षा में ही तत्पक्ष मुक्त संप्रेषण बनाये
4. छात्रों को भी अपना विचार रखने का मौका दें।

### (11) परीक्षण कौशल :-

1. रचनात्मक परीक्षण
2. योगात्मक परीक्षण
3. निदानात्मक परीक्षण
4. स्वतंत्र एवं मापक परीक्षण (नियमित अंतराल पर लगातार देस लेना)
5. पोर्टफोलियो आकलन (अलग सेमों में अलग-2 किया गया परीक्षण)

### (12) प्रश्न निर्माण कौशल :-

1. प्रश्न सटीक हों।
2. निचली कक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर निश्चित हों।
3. सर्वे उत्तर में निष्पक्षता चाहिए वहाँ पर प्रश्न बहुविकल्पीय हों।
4. पितृ को समझने के लिए मुक्त अन्त वाले। अपसारी। निबंधात्मक प्रश्न पूछे जायें जैसे प्रश्न एक और उत्तर देने हों।
5. प्रश्न सरल से कठिन की ओर हों।
6. निचली कक्षाओं में अतिलघुउत्तरीय या लघुउत्तरीय प्रश्न पूछे जायें।



Injectice

- Q.N-1 शिक्षण का स्मृति स्तर किसने दिया (हरबर्ट)
- Q.N-2 शिक्षण के बोध स्तर का अग्रिम चरण कौनसा (अभिप्रैतिभिकरण)
- Q.N-3 ब्रुम डाय रसनात्मक पक्ष कब प्रतिपादित किया गया (1956)
- Q.N-4 ब्रुम के संज्ञानात्मक पक्ष का चौथा चरण कौनसा है (विश्लेषण)
- Q.N-5 शिक्षण सुत्रों का जनक किसे माना जाता है (हरबर्ट स्पेंसर एवं कर्मेनियस)
- Q.N-6 शिक्षण की प्रमुख प्रक्रिया पढ़ी बार किसने कहा (जॉन डीवी)
- Q.N-7 शिक्षण के चरणों का विभाजन किसने प्रस्तुत किया (बी.सी. स्मिथ)
- Q.N-8 शिक्षण का अग्रिम चरण कौनसा माना गया है (शिक्षार्थी (छात्र))
- Q.N-9 शिक्षण के चिंतन स्तर का जनक कौन है (मॉरिस पी. हंट)
- Q.N-10 शिक्षण की प्रमुख प्रक्रिया पढ़ी बार किसने कहा है (जॉन एडम्स)
- Q.N-11 सुझ शिक्षण की शुरुआत किन विश्वविद्यालय से हुई (स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय)
- Q.N-12 भारत में सुझ शिक्षण का जनक किसे मानते हैं (बी.के. पासी)
- Q.N-13 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सुझ शिक्षण चक्र की अवधि कितनी है (45 मिनट)
- Q.N-14 सुझ शिक्षण के एलन ने कुल कितने सिद्धान्त बताये हैं (पाँच सिद्धान्त)
- Q.N-15 सुझ शिक्षण का भारतीय प्रतिमान किसे तैयार किया (NCERT) डा. प.
- Q.N-16 शिक्षण की गैलमैन ने कितनी अवधारणें बतायी हैं 3 अवस्था
- Q.N-17 स्मृति स्तर के शिक्षण का समय चरण कौनसा है प्रस्तुतीकरण
- Q.N-18 शिक्षण सुत्रों की गैलमैन संख्या कितनी है (11)
- Q.N-19 पढ़ते समय पाठ की संक्षिप्त में बताना कौनसा कौशल है उस्ताबना
- Q.N-20 NCERT ने कितने शिक्षण कौशल माने हैं 7 शिक्षण कौशल
- Q.N-21 शिक्षण के कितने चरण माने गये हैं (तीन चरण) निदान, उपचार, मुलांकन
- Q.N-22 एलन ने शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी मानी है (14)
- Q.N-23 पढ़ते समय जावाप में उलार चराल या हाव भाव बदलना = 3 उद्दीपन कौशल
- Q.N-24 सुझ शिक्षण में कितने चरण माने गये हैं 6
- Q.N-25 भारतीय सुझ शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण का समय कितने मिनट माना है 6 मिनट



\* शिक्षण की परिभाषा :-

- \* शिक्षण की परिभाषा :-
- (1) स्किनर के अनुसार :- शिक्षण पुनर्बलन की आकरियाओं का क्रम है।
- (2) रायबर्न के अनुसार :- शिक्षण के तीन बिन्दु हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। इन्हें आपस में जोड़ना ही शिक्षण है।
- (3) बी.ओ. स्मिथ के अनुसार - शिक्षण एक उद्देश्य केन्द्रित प्रक्रिया है।
- (4) बर्ट के अनुसार - शिक्षण को सीखने के लिए दिये जाने वाले प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- (5) पाँकम एवं स्मिथसन के अनुसार - शिक्षण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व स्तरों को जीवन में सामंजस्य कक्षा सीखते हैं।
- (6) मौरिसन के अनुसार - शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक ज्ञानकार्य अर्पित क्रम ज्ञानकार्य अर्पित को अधिक ज्ञानकार्य बनाने के उद्देश्य से काम करता है।
- (7) एल. एन. गैंग के अनुसार - शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति अवधारणा एवं क्षमताओं में परिवर्तन लाना है।
- (8) पाहक एवं त्यागी के अनुसार - शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को शिक्षा, परिवार, विद्यालय एवं पत्रपत्रिकाओं तथा समाज द्वारा जीवन में समायोजन कक्षा सिखाया जाता है।



- (13) संप्रमाण का सिद्धान्त
- (14) जननक्रिया का सि०
- (15) जीवन से जोड़ने का सि०
- (16) प्रजातिगतिक मूल्यों का सि० ( सार्वभौमिक मूल्यों से उत्पन्न होने वाले मूल्यों का सि० )
- (17) नैतिक मूल्यों का सिद्धान्त ( अच्छाई, सत्यवादी, परीक्षाधीन मूल्यों का सि० )



- \* शिक्षा के नवीन प्रयास के अन्तर्गत उच्च योजनाओं को लिया जाता है जिन्होंने शिक्षा को सर्वशुलभ बनाने का प्रयास किया है या शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया है।
- इनमें से हम सब कुछ प्रमुख प्रयासों की चर्चा करेंगे —

### (1) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) District Primary Edu. Program

- \* यह कार्यक्रम 1994 में शिक्षा को सर्वशुलभ बनाने के विचार से शुरू किया गया।
- \* यह कार्यक्रम जिला स्तर पर चलाया गया।
- \* इस कार्यक्रम का पहला चरण 1994 में शुरू किया गया जिसे DPEP-I कहा जाता है।
- \* वर्ष-2009 में इस कार्यक्रम को सर्वशिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया है।
- \* इस कार्यक्रम को गस्तव में तीन चरणों में सम्पादित किया गया
- प्रथम चरण \* इसका पहला चरण 1994 में शुरू किया गया उसमें इसे भारत के सात राज्यों के 42 जिलों में चलाया गया।  
MP, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, तथा कर्नाटक को शामिल किया गया तथा इसमें प्रथम चरण में UP को शामिल नहीं किया गया था।
- द्वितीय चरण \* 1997 में DPEP का दूसरा चरण DPEP-II लाया गया जिसमें पहले के सात राज्यों के अलावा पहली बार उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को शामिल किया गया इसके अलावा तीन अन्य राज्य गुजरात, MP, ओड़ीसा में भी शुरू किया गया।
- तृतीय चरण \* इस कार्यक्रम का तीसरा चरण जिसे DPEP-III कहा जाता है वर्ष 2000 में चलाया गया जब इसे UP के पहले से लागू 22 जिलों के अलावा 32 नए जिलों में भी शुरू किया गया।

### \* शिक्षा के नवीन प्रयास :-

- शिक्षा के नवीन प्रयास के अन्तर्गत उच्च योजनाओं को लिया जाता है जिन्होंने शिक्षा को सर्वशुलभ बनाने का प्रयास किया है
- \* इस कार्यक्रम में अपरेशन ब्लैकबोर्ड की तरह प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक रखने का प्रावधान है जिनमें से एक शिक्षक महिला हो।



### \* DPEP उद्देश्य -

1. प्राथमिक शिक्षा को सर्वशुलभ बनाना
2. औपचारिक शिक्षा प्रदान करना
3. शिक्षा में मादा लिंग अन्तराल को कम करना
4. SC/ST छात्रों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करना
5. शाला त्यागी छात्रों को फिट से प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना
6. छात्रों के अधिगम स्तर एवं उनकी समता को 25% तक बढ़ाना
7. सामुदायिक भागीदारी की सहायता लेना

### [ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (OBB) ]

1. प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण सामग्री यदि न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध करने के लिए 1986 की शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश की गयी थी।
2. इसका उद्देश्य विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण-अधिगम सहायक सामग्री उपलब्ध करना तथा शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना था।
3. भले ही इसकी सिफारिश 1986 की शिक्षा नीति में की गयी हो लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी शुरुआत 1987 से ही हो सकी है।

### \* इस अभियान डाए प्राथमिक विद्यालयों को निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान की गयी :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों को निम्नलिखित शिक्षण-अधिगम सामग्री प्रदान की गयी है।

- (1) शिक्षण उपकरण
- (2) श्यामपट्ट
- (3) शिक्षकों के लिए आकस्मिक घन
- (4) वाद्य यंत्र के रूप में हाजोनिपम डोलक एवं तबला
- (5) चूनीचटा
- (6) लघु यंत्र फिट
- (7) विज्ञान फिट
- (8) बालक बालिकाओं हेतु शौचालय
- (9) प्रत्येक विद्यालय को एक
- (10) प्रत्येक विद्यालय को कम से कम 2 शिक्षक जिसमें एक महिला हो



- (11) खेल सामग्री नकलें, गोंडल, ग्लोब
- (12) शिफ्ट डेय मैप बुकी
- (13) ऑडियो उपकरण
- (14) पुस्तकालय डेय पुस्तकें
- (15) रुख एवं शाफ रोड पत्र

\* सन 1992 की संशोधित शिक्षा नीति जारी हो 0BB में निम्न परिवर्तन किये गये -

1. 0BB की पटल से लागू होनी के अलावा उन होनी के विद्यालयों में भी टुक किया गया जिसकी SC/ST जनसंख्या होवधिक थी।
2. इसे प्राथमिक स्तर से बढ़कर उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू कर दिया गया।
3. अब इसमें प्रत्येक विद्यालय की कम से कम तीन कमरे एवं एक बरामदे वाला भवन होने तथा कम से कम तीन शिक्षकों का प्रावधान रखा गया।
4. योजना की सिफारिश के अनुसार 1993-94 में इसे उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू कर दिया गया।

[ (P-MOST) सैवारत शिक्षकों का विस्तृत अभि विन्यास कार्यक्रम ]  
(Program for Mass Orientation of Schools Teachers)

1. यह कार्यक्रम 1986 की शिक्षा नीति से शिक्षकों को परिचित कराने के लिए NCERT द्वारा चलाया गया।
2. इस कार्यक्रम में भी शिक्षण सामग्री तैयार की गयी लेकिन इसमें शिक्षण सामग्री (2) स्तरों पर तैयार की गयी  
(i) प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षण सामग्री  
(ii) माध्यमिक स्तर के लिए शिक्षण सामग्री
3. प्राथमिक स्तर पर 0BB के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कर लेने के बाद P-MOST को 1990 में 0BB के साथ जोड़ दिया गया तथा इसका नाम -  
P-MOST Black Board रखा गया।

\* P-MOST कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास -

1. 1986 की शिक्षा नीति से शिक्षकों को परिचित करना
2. 0BB के अन्तर्गत प्रदान की गयी शिक्षण सामग्री का शिक्षकों को उपयुक्त उपयोग समझना
3. कक्षा की सार्वजनिक एवं किया जाता है के लिए बनना
4. विद्यालय के सुचारु रूप से काम करने के लिए विद्यालय अवगत तथा शिक्षकों डेय शिक्षण सामग्री जोड़ उपलब्ध करना।



## [ मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal Plan) ]

- \* इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को तमिल से की गयी
- \* इस बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब 3 Kg गेहूँ / चावल देने का प्रावधान था जिसकी कक्षा में उपस्थिति 80% या उससे ज्यादा थी।
- \* वर्तमान में इस योजना में पहले हुए भोजन को देने की व्यवस्था है जिसमें सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों तथा यिक्ता गारंटी केडी एच उच्च प्राथमिक माध्यमिक (कक्षा 6, 7, 8 तक) विद्यालयों को भी शामिल किया गया है।

### योजना के उद्देश्य :-

1. शिक्षा के साथ-2 पोषिक भोजन उपलब्ध करना
2. पोषिक भोजन द्वारा बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना
3. विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना
4. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की विद्यालय जाँझों में झूठ-झूट होने से बचना।
5. सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को एक साथ बैठकर खाने का प्रारंभिक अनुभव देना।

### प्रमुख तथ्य :-

1. योजना के अन्तर्गत सप्ताह 4 दिन चावल से बने एवं 2 दिन गेहूँ से बने भोजन पदार्थ देने का प्रावधान है।
2. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमशः 100 एवं 150 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री देने का प्रावधान है।
3. प्राथमिक या उपलब्ध भोजन में 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम-प्रोटीन उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध कराये गये भोजन में 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20g प्रोटीन उपलब्ध करने का मानक रखा गया है।
4. भोजन के लिए आयाज (अनाज) मुफ्त में भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
5. पारदर्शिता हेतु सप्ताह भर की भोजन तालिका 6X8 पत्र के तहत कक्षा के स्कूल की दीवारों पर पेंट कराकर लगा दिया जाता है।
6. कच्चे अनाज को पहले भोजन में परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन लवण (Sodium Chloride) की व्यवस्था की गयी है।



7. शुरुआत में प्रत्येक विद्यालय मिड-डे-मील हेतु रसोई घर तैयार करने के लिए 85000 रुपये तथा किचन का सामान खरीदने हेतु 5000 रु. की धनराशि आवंटित की गयी।
8. मिड-डे-मील योजना की उच्च लागतों की व्यवस्था करने का कार्य ग्राम सभा / पंचायत को सौंपी गयी।
9. भोजन बनाने के लिए किसी स्कूल के ही किसी छात्र छात्रा के अधिभावक का चयन किया जाता है लेकिन ड्र/डा/विद्यवा/परिवर्त्या आदि को वरीयता दी जाती है।
10. रसोईयों का चयन एक वर्ष के लिए होता है जिसका निष्कासन प्रधानाचार्य की इच्छा पर है शुरुआत में इसका मसदरुय 1000 रु. था।
11. विद्यालय के किसी शिक्षक को भोजन को 'रस' का इसकी गुणवत्ता में जाँच करनी होती है।
12. 2001 में इस योजना में खिचड़ी एवं दही की व्यवस्था की गयी जबकि 2004 से पहले भोजन की शुरुआत भी गयी है।
13. शुरुआत में इस योजना को श्रमिक स्तर पर 2408 पिछड़े वर्गों में शुरू किया गया। जबकि 2007 में इसे पहली बार ईश्वर में 3779 पिछड़े वर्गों में उच्च श्रमिक स्तर पर शुरू किया गया।

[मीना मंच योजना]

1. मीना मंच योजना भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में (UNICEF) यूनीसेफ की सहायता से चलायी जा रही है।
2. मीना वास्तव में 'यूनीसेफ' की सहायता से तैयार किया गया एक लड़की का कार्डिन पात्र है जिसकी वास्तविक शुरुआत 1990 में हुई थी।
3. अर्थात् कार्डिन पात्र के रूप में मीना एक लड़की का ऐसा निरूपण है जो समाज में बालिकाओं के साथ होने वाले लिंग भेद-भाव का प्रतीक है।

\* जीना मंच के उद्देश्य :-

- (1) बालिकाओं को अपनी जीवन या अपनी साथ दी रहे संभावना  
आदि को ब्यापार करने के लिए एक संघ उपलब्ध करना
- (2) विद्यालय में बालिकाओं के हठराव को सुनिश्चित करना तथा उन्हें  
शिक्षा से जोड़ना।



- (3) बालिकाओं के साथ सुरक्षा पर चर्चा करना तथा यौन समस्याओं आदि के प्रति उन्हें जागरूक करना।
- (4) लैंगिक भेदभाव एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति उन्हें जागरूक करना
- (5) बालिकाओं में अत्मनिर्भरता एवं नेतृत्व कौशल का विकास करना।

\* मीना का परिचय :- (कार्डिन पक्ष का परिचय)

- (1) मीना अपने दादा-दादी, माता-पिता एवं अपने भाई-राष्ट्र एवं बहन सनी के साथ रहती है।
- (2) मीना के ताते का नाम मिठू है तथा बहन सी इसकी शिक्षिका है।
- (3) मीना की कहानीया बालिकाओं के शर्-गिर्-घुमरी है। सी समाप में बालिकाओं के साथ दो रूहे लिंग भेदभाव की उपगार करती है। जीवन के हर क्षेत्र में लिंग समानता की सिफारिश करती है।

\* मीना मंच का गठन :-

- (1) मीना मंच के सदस्य कहा 6 से अधिक के सभी बालक एवं बालिकाएँ होंगी।
- (2) विद्यालय की किसी महिला शिक्षिका की इसकी धिम्मेदारी सी जाना, जिससे मीना मंच की सुगमकर्ता माना जाएगा।
- (3) लेकिन वह महिला शिक्षिका इस मंच का संचालन नहीं करेगी बल्कि संचालन तो बालिकाएँ ही करेंगी।
- (4) मीना मंच का गठन दो पाने के बाद इसमें होने वाली चर्चाओं एवं गति-विषयों के लिए एक विभिन्न समिति का गठन होगा जिसमें मीना मंच समिति कहेंगे जिसमें कुल 26 सदस्य होंगे जो निम्न लिखित है।

\* मीना मंच समिति के 26 सदस्य :-

| कक्षा                   | बालिकाएँ | बालक |
|-------------------------|----------|------|
| 8                       | 5        | 2    |
| 7                       | 5        | 2    |
| 6                       | 5        | 2    |
| 5                       | 3        |      |
| 4                       | 2        |      |
| कुल सदस्य = 20 + 6 = 26 |          |      |



- (क) मीना मंच समिति का गठन दो पार्षदों के बाद प्रत्येक कक्षा से प्रत्येकी एवं सह-प्रत्येकी का चुनाव होता है।
- (ख) तथा सह-प्रत्येकी एवं सह-प्रत्येकी का चुनाव केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है।
- (ग) तथा इन प्रत्येकी एवं सह-प्रत्येकी द्वारा मीना मंच के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। जो कि बालिकाएँ ही हो सकती हैं।
- (घ) इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।

[कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना] (KGBVP)

1. जुलाई 2004 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों SC/ST/OBC बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गयी जिसमें आवासीय (हॉस्टल) विद्यालयों की स्थापना की गयी।
2. यह योजना ब्लॉक स्तर पर चलायी गयी जिसमें शुरुआत में 750 KGBVP विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य लिया गया।
3. लगभग दो वर्षों तक यह योजना एक अलग योजना के रूप में चलायी गयी लेकिन 1 अप्रैल 2007 से इसका विलय सर्वशिक्षा अभियान में कर दिया गया।
4. शुरुआत में इन क्षेत्रों में यह योजना चलायी गयी बालक एवं बालिका शिक्षा का लिंग अंतराल 21% से ज्यादा हो।
5. ऐसे क्षेत्रों में इस योजना को चलाया गया जहाँ SC/ST/OBC जनसंख्या अधिक हो तथा तथा महिला साक्षरता कम हो और इन वर्गों की ज्यादातर बालिकाएँ शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हो।
6. इस योजना में बालिकाओं का चयन करते समय 75% बालिकाओं को SC/ST/OBC वर्ग से लिया जाता है तथा 25% में वे बालिकाएँ आती हैं जिनमें परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हों।
7. इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपभ्रष्ट वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
8. इसके अंतर्गत बालिकाओं को सुफल में यूनीफार्म, पुस्तकें, भोजन, आवास एवं अन्य अभियोग सामग्री प्रदान की जाती है।



9. आधुनिक शिक्षा से कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इन विद्यालयों में कलाई, बुनाई, सिलाई, कम्प्यूटर शिक्षा तथा पेंटिंग आदि की संख्या परक शिक्षा भी दी जाती है।
10. पहले यह योजना 2010 तक के लिए थी लेकिन बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 2020 तक का दी गयी थी।
11. योजना के लिए धन का प्रबंध केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर करती है जिसका अनुपात 75: 25 है।
12. अब इस योजना का बहाल कक्षा-12 तक करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
13. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी है।

### [ बेसिक शिक्षा परियोजना ]

- (1) केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बि बेसिक शिक्षा परियोजना (BEP) की शुरुआत की गयी।
- (2) यह योजना मुख्यतः 14 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक स्तर कक्षा (1-8) पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चलायी गयी।
- (3) यह योजना विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में 1993 में शुरू की गयी।
- (4) शुरुआत में इसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को शामिल किया गया।

\* योजना के अंग-: इस योजना के तीन अंग हैं।

- (1) संस्थागत क्षमता में वृद्धि
- (2) गुणवत्ता एवं पूर्णता
- (3) बेसिक शिक्षा तक कक्षा (1-8) तक सभी बच्चों को पहुँच सुनिश्चित करना।

\* योजना के उद्देश्य-:

- (1) वर्ष 2000 तक सभी 6 से 11 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- (2) 5000 तक की आबादी पर राज्य शिक्षा की व्यवस्था करना।
- (3) प्रत्येक 8000 घनमी आबादी पर बालक के घर से 1.5 Km के अन्दर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करना।
- (4) वर्ष 2000 तक विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर (MLL) सुनिश्चित करना।



\* योजना के कार्य :- इस योजना के दो प्रमुख कार्य हैं।

(1) प्रबंधनीय संस्था :-

इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य परियोजना शिक्षा समिति, जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति एवं ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति स्थापित।

(2) अकादमिक संस्था :-

इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान (SIMAT) तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) तथा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र (NPRC) की स्थापना भी गयी।



### [सर्वशिक्षा अभियान]

- (1) यह अभियान भारत सरकार द्वारा शिक्षा की सभी तक पहुँचाने के लिए चलाया जा रहे अभियान का हिस्सा है।
- (2) इसे वर्ष 2000-2001 में शुरू किया गया।
- (3) इसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक भारत के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- (4) इस अभियान के सभी लक्ष्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न (अनुशासित) हैं।

#### \* विशेषताएँ -

- (1) यह एक समयबद्ध अभियान है।
- (2) इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है।
- (3) यह अभियान केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी से चलाया गया।
- (4) यह अभियान उसी भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक अभियान है।

#### \* सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य -

- (1) 2003 तक सभी बच्चों को स्कूलों वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों तथा शिक्षा गारंटी केंद्रों आदि से जोड़ कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।
- (2) वर्ष 2007 तक सभी बच्चों की प्राथमिक स्तर पर 5 वर्षीय गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
- (3) 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्षीय ~~बच्चों~~ गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- (4) वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियाँ एवं लड़कों के शिक्षा में बाधक लिंग अंतराल को दूर करना।
- (5) वर्ष 2010 तक शिक्षा में (ड्रॉपआउट) दर शून्य तक पहुँचाकर सार्वभौमिक प्रतिधारण (Universal Retention) का लक्ष्य प्राप्त करना।

Note

इस अभियान को शुरू करने के लिए सरकार ने ₹१००० करोड़ की धनराशि शुरूआत में आवंटित किया।



\* सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु तैयार की गयी आपस रणनीति -

- (1) सामुदायिक स्वामित्व
- (2) सतत वित्तपोषण
- (3) लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना
- (4) पूर्व परीक्षण करना
- (5) विद्यार्थी समूहों की शिक्षा
- (6) शिक्षकों की भागीदारी
- (7) संस्थागत सुधार

Note (1) आज - शिक्षा गारंटी योजना, मिड-डे-मील योजना, कलवुरवा गांधी बालिका विद्यालय योजना, OBB, DPEP, RTE-2009 जैसे योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है।

Note (2) एक अनुमान के अनुसार देश की 11 लाख बस्तियों में लगभग 19-2 करोड़ वर्य सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा लेंगे।







Ques-3 RTE-2009 सभी 6 से 14 वर्ष के बालक - बालिकाओं की उपलब्ध होगी

धारा 3 RTE-2005 सेमी 6 से 14 वर्ष के बच्चे  
 धारा 4 उम्र के आधार पर प्रवेश कैसे - बालक 12 साल है तो उसकी उम्र में से 5 घटाने पर  $(12-5) = 7$  कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा  
 Note अगर बालक 14 वर्ष है तो उसकी उम्र में से 5 की वजह से घटाया जायेगा  $14-5 = 9$  कक्षा में प्रवेश

5 घंटे पर  $(12-9) = 3$  कक्षा में प्रवेश  
 14-वर्ष हैं तो उसकी उम्र में लगे 3 की वजह से  
 घटाया जाएगा  $14-6 = 8$  कक्षा में प्रवेश

बिना स्थानांतरण प्रमाण पर (TTC) के भी प्रवेश

५ मार्च-5 बिना स्थानांतरण प्रमाण पर (10) के माध्यम  
 धारा-6 बालक के चार से एक किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय  
 तथा 3 Km पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाये जायेंगे।

धारा-7 तब 3 Km पर उच्च श्रेणी के विद्युत के तारों के बिना  
के हरे हरे राष्ट्र सरकार के मय का अनुपात पहले 65:35 बाई  
55:45 और वर्तमान में 60:40 है लेकिन प्रवर्तित राष्ट्रों के लिए  
यह अनुपात 90:10 का होगा।

धारा-8 समुचित स्वकार के कर्तव्य - विद्यालय छोड़ना, रीयट निपुस्त करना

आप-3 स्थानीय सरकार के करियर - जैसे मिड-डे मील योजना जी सामग्री उपलब्ध करायें

माता - पिता के कर्त्तव्य - अपनी ज़रूरतों 6 से 14 वर्ष तक के विद्यालय भागों

पुर्व प्राथमिक शिक्षा को आंगनवाड़ी केंद्र एवं शिक्षा केंद्रों में माध्यम से दिया जाएगा। कक्षा -1 से पहले की शिक्षा Jir-Bhimary Education KOL UKOL सादि की शिक्षा

धारा-2 निजी विद्यालयों की 25% सीटें SC/ST/OBC/ आदि के लिए आरक्षित रहेंगी

धारा-13 (A) कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा, ऐसा करने पर ली गयी राशि का 10 गुना जुर्माना लिया जायेगा।

(B) कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी तब कुर्न पर पहली बार 25000 रु इसी बार 50000 रु तथा अगली बार 50000 रूपये शुभानि सहित कुर्न की मान्यता 255 कुर्न को जाबधान है।

ध्या-14 उम्न प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश। दिया चार्जिंग

धारा-15 नियमित अवधि के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा।

धारा-16 अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक अर्थात् कक्षा-5 तक किसी बालक को न तो फेल किया जा सकता और न ही उसे विद्यालय से निष्कास जा सकता है।

धारा-13 किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना पर रोक

धारा-18 बिना मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा पक्के जान पड़े पढ़ती जात एक लाख रु. और इलाय पक्के जान पर प्रतिदिन के हिमाज से 10000 रु. प्रमाण उल्लेख अपेक्षा



पारा १७

मान्यता प्राप्त करने के लिए मान एवं मानक (अनुसूची में निर्दिष्ट) हैं।

5/11/20

इस अधिनियम के किसी भी भाग को बदलने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों का सहमति आवश्यक होगी।

QRT-2)

प्रत्येक राष्ट्रीय या सहायता प्राप्त विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति होगी जिसमें कुल 16 सदस्य होंगे तथा इसकी आधी संख्या महिलाओं की होगी तथा कुल संख्या का  $\frac{3}{4}$  भाग छात्रों के अभिभावकों से बनेगा (12) तथा इसकी भी आधी संख्या महिलाओं की होगी तथा इसका अव्यय एवं उपाध्यक्ष दोनों ही छात्रों के अभिभावक होंगे।

82-1213

SAC विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य विद्यालय विकास योजना (DPP) तैयार करना है।

पृष्ठ-23

शिक्षकों के वेतनमान सेल शर्तें (TET/CTET)

पृष्ठ-24

- नियमितता एवं समय पालन
- समय पाठ्यक्रम पूरा करना
- बालक हमता के अनुकूल सिखाना
- बच्चों के अभिभावक के सम्पर्क में रहना
- सरकारी कानूनों का पालन करना

1954

शिक्षक छात्र अनुपात :- (अनुपुची में वर्णित है)

ਧਾਰ-26

किसी विद्यालय में शिक्षकों की कुल निर्धारित संख्या का 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता

आय-२७

शिक्षकों को चुनाव, जनगणना, आपदा राहत कार्य के अलावा विभिन्न अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जायेगा।

આપ-૨૮

साकारी शित्तर्वा का निष्पी ह्युशन पठाने पर रोक

पृष्ठा-२९

पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम :-

- संवैधानिक मूल्यांकन
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
- गतिविधि आधारित शिक्षा
- बालकेंद्रित शिक्षा
- समावेशी शिक्षा
- अत्युच्च बालवर्ण में शिक्षा
- संगीत शिक्षा के लिए शिक्षा



- धारा-30 प्राथमिक शिक्षा पूरी होने पर पूर्णता का प्रमाण पत्र देना होगा।
- धारा-31 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत की जाएगी।
- धारा-32 बच्चे से जुड़ी किसी भी शिकायत को अभिभावक द्वारा लिखित रूप से प्राप्त होने पर तीन महीने के भीतर निपटारा
- धारा-33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जिसमें कम से कम 15 सदस्य होंगे या केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार जिसका अध्यक्ष भारत के शिक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष (शिक्षा मंत्री) होगा
- धारा-34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन जिसमें न्यूनतम 15 सदस्य या राज्य सरकार की इच्छा अनुसार होंगे जिसका अध्यक्ष राज्य का शिक्षा मंत्री होगा
- धारा-35 इस अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करें।
- धारा-36 धुर्यान लगाने से पहले अपने सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा
- धारा-37 स्मृति सभा, स्थानीय सरकार, केंद्र और राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों सक्षम अधिकारी यदि के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है
- धारा-38 इस अधिनियम के कुछ भागों को राज्य सरकारें भी संशोधित कर सकती हैं।

### \* अनुसूची :-

| शिक्षक छात्र अनुपात (धारा-25)              |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राथमिक स्तर पर                           | उच्च प्राथमिक स्तर पर                                                                                                                       |
| 60 छात्रों पर = 2 शिक्षक                   | 1 शिक्षक-छात्र अनुपात = (1:35)                                                                                                              |
| 61 से 90 पर = 3 शिक्षक                     | 2 100+ छात्र होने पर 1 प्रधान अध्यापक (पूर्वकालिक) तथा कला शिक्षा, कार्यविद्या एवं स्वस्थ एवं शारीरिक शिक्षा के एक-एक अंशकालिक शिक्षक होंगे |
| 91 से 120 पर = 4 शिक्षक                    | 3 भाषा, गणित एवं विज्ञान तथा सामाजिक विषय के शिक्षक पूर्वकालिक (सहकारी) होंगे                                                               |
| 121 से 200 तक = (5 शिक्षक + 1 हेड)         |                                                                                                                                             |
| 200 छात्रों तक शिक्षक-छात्र अनुपात (1:30)  |                                                                                                                                             |
| 200+ छात्रों पर शिक्षक-छात्र अनुपात (1:40) |                                                                                                                                             |



### \* शिक्षक के कार्य दिवस एवं कार्य घंटे :-

- (1) प्रत्येक शिक्षक की सप्ताह में 45 घण्टे काम करना होगा।
- (2) प्राथमिक स्तर 200 कार्य दिवस या 800 कार्य घण्टे होंगे।
- (3) उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 कार्य दिवस एवं 1000 कार्य घण्टे होंगे।

### \* विद्यालय के मान एवं मानक :-

- (1) प्रत्येक मौसम में सुरक्षित रहने वाला विद्यालय भवन
- (2) बालक - बालिकाओं हेतु अलग-2 राशनालय
- (3) शुद्ध एवं साफ पेय-जल
- (4) खेल का मैदान
- (5) पुस्तकालय
- (6) मिड-डे मील पकाने हेतु रसोई का पर्याप्त स्थान
- (7) सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय के चारों ओर चारोंपैगरी।



- (1) जब तक कुल 4 NCF जारी गये हैं, जो क्रमशः 1975, 1988, 2000 व 2005 में जारी गये हैं।
- (2) NCF-2005 की मूल प्रेरणा रविन्द्र नाथ टैगोर के लेख "सम्पदा एवं प्रति" को माना गया है।
- (3) NCF-2005 में कुल 5 अध्यापक तथा 2 परीक्षिण हैं।
- (4) NCF-2005 को बनाने का निर्णय 14 से 19 July 2004 को सम्पन्न NCERT की बैठक से हुआ।
- (5) NCF-2005 को भारतीय सेविशियन में वर्णित सभी 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है जिसके लिए दस लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी।
- (6) NCF-2005 की संचालन समिति में प्रो० यशपाल समेत कुल 35 सदस्य थे जबकि कुल सदस्यों की संख्या 38 थी जिसमें NCERT के 3 पर्यवेक्षक भी शामिल थे।
- (7) NCERT द्वारा NCF-2005 में भारतीय जनता की राय तथा जमीनी स्तर पर आ रही शैक्षिक चुनौतियों को शामिल करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया।
- (8) NCF-2005 "रचनावाद" पर जोर देता है।
- (9) NCF-2005 बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करता है।
- (10) NCF-2005 में (5) मार्गदर्शी सिद्धांत माने गये हैं।
  - (1) शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना
  - (2) शिक्षा को उत्तम प्रणाली से मुक्त करना
  - (3) शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक न सीमित कर देना (प्रैक्टिकली सिखना)
  - (4) परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना
  - (5) शिक्षा द्वारा राष्ट्रहित एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाना।
- (11) कक्षा में पसरा हुआ सन्नाय अविगम का सूचक नहीं है।
- (12) मोटी-2 किताबें शिक्षा की असफलताएं हैं।
- (13) NCF-2005 के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्तों का बस्तव बढ़ा है लेकिन गुणवत्ता में सुधार नहीं आया है।
- (14) सूचना को जान-न मानें (मोटी किताबों पर जोर नहीं है)।
- (15) इस NCF के अनुसार अविगम स्वभाव से सामाजिक एवं सक्रिय है।
- (16) NCF-2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों की मांगों एवं उनके अनुभवों को ध्यान में रखना (स्वायत्त कार्य)।



- (17) बच्चों की भौली-भाली व्यवधारणाओं को उनकी प्या-पूँजी समाझा उनसे छोडका सिखाये जैये- बच्चे नै कदा सा बिग्ली भौकती है अब इसमें बच्चे जो कम-से कम बिग्ली के जाँ में लो प्रता है प्यानवा है मतलब NCERT में Positive ऐसे
  - (18) बच्चा कौरी पटिया (Tobacco leaves) नहीं है ब्युकि स्कूल आने से पहले ही बालक हज्यारी बलुओ एवं राकी का राज रखता है।
  - (19) उडे के डर से अवस्था तो स्थापित हो सकती है लेकिन अनुशासन भी हो ऐसा प्यारी नहीं है।
  - (20) अनुशासन का अर्थ उडा मारना नहीं है अपितु खुद से अपने कार्य के नियम बनाना या स्वनियमन है।
  - (21) कक्षा-2 तक परीक्षाएं लिखित न हो बल्कि मौखिक हो, जो अवलोकन आदि पर आधारित हो।
  - (22) NCF-2005 अत्यधिक बुरा कार्य का विरोध करता है तथा निम्न लिखित मानक बताता है।
    - (1) कक्षा-2 तक = कोई बुरा कार्य
    - (2) कक्षा-3 से 5 तक = सप्ताह में 2 घंटे बुरा कार्य
    - (3) कक्षा 6 से 8 तक = सप्ताह में 5 से 6 घंटे "
    - (4) कक्षा 9 से 12 = सप्ताह में 10 से 12 घंटे बुरा कार्य या सामग्री स्वच्छा है अनुसार
  - (23) यह NCF-2005 संझों की सौड को कम करने के लिए सीधी की पगड ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने की सिफारिश करता है। तथा पास-फेल की प्रणाली खत्म की जायेगी।
  - (24) सीधे-2 अनुलोर्ष लिखने की पगड पुर्नपरीक्षा वांछनीय लिखा जाये।
  - (25) NCF-2005 में सतत एवं आपक मुल्यांकन की बात की गयी है।

→ बीच-2 में लगातार टेस्ट लेना
  - (26) NCF-2005 परीक्षा प्रणाली को लचीली बनाने पर जोर देता है तथा 10 वीं की परीक्षा में तीन वर्ष तक समय देने की सिफारिश करता है।
  - (27) यह NCF-2005 स्मारी परीक्षा प्रणाली को कलेंडर से बंधी हुयी बताता है जो शुरुआत में निकर्म्मपन और बाद में डर एवं तनाव का कारण बनती है।
  - (28) इस NCF-2005 में बियालय आधारित मुल्यांकन तथा स्वैड परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गयी है ताकि बियाथी का परीक्षा के तनाव एवं अपनवीपन से बचाया जा सके
- (A) बियालय आधारित मुल्यांकन → बच्चा जिस स्कूल से पढ़े उसी टीचर से उसकी कार्यवाही होये
- (B) स्वैड परीक्षा प्रणाली → बच्चा जिस स्कूल में पढ़े वही उसकी परीक्षा हो



- (29) प्रश्न पत्र इस तरीके से बनाया जाये कि 25 से 40% प्रश्न बहुविकल्पीय होकर बाकी प्रश्न लघु उत्तरीय हों तथा परीक्षा में बैठे सभी छात्रों को 30% प्रश्नों का उत्तर आना हो।
- (30) प्रत्येक पढ़ने पर मुश्किल प्रश्नों का अंकावली दिया जाये।
- (31) मूल्यांकन में 40% रचनात्मक मूल्यांकन तथा 60% यादगति मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाये।
- (32) प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा हो ताकि अधिग्रहण के लिए स्वाभाविक वातावरण उपलब्ध हो सके।
- (33) यह NCF-2005 संशोधन के वैश्विक मूल्यों को देखते हुए इसे द्वितीय भाषा के रूप में सीखने की सिफारिश करता है।
- (34) यह NCF-2005 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, प्रोजेक्टर आदि तकनीक को प्रयोग की सिफारिश करता है।
- (35) यह NCF-2005 लिंग पूर्णता को नकारते हुए लिंग समानता हेतु लड़कों एवं लड़कियों पारस्परिक सम्बन्धों के विपरीत रखने की सिफारिश करता है जैसे- लड़कों से माइ लगाना और लड़की की बारा सब्जी लेने भेजना।
- (36) अपने व्यक्तित्व से पहले ही निम्न से प्रेरित हो कर न केवल अपनी गतिविधि अधिग्रहण का हिस्सा हो।
- (37) यह NCF-2005 भारत की भाषायी विविधता को देखते हुए बहुभाषिकता को सिफारिश करता है।
- (38) बहुभाषिकता को एक भाषा न मानकर इसे सीखने का समूह संसाधन माना जाये।
- (39) भारत की बहुसांस्कृतिक विविधता को देखते हुए बहुसांस्कृतिकता को सिफारिश करता है।
- (40) भारत की आर्थिक सामाजिक असमानता और छात्रों में पायी जाने वाली शारीरिक, मानसिक, संचारों को देखते हुए इस NCF-2005 में समावेशी शिक्षा की सिफारिश की गयी है।
- (41) समावेशी शिक्षा विविधता (तरीक-2 के अंशों को ध्यान में) का उत्तर मनाती है।
- (42) शिक्षा का एक सामाजिक संरचना है।
- (43) शामिल करने पर और दो भाषा न केवल सभी को साधकता के लिए संसाधन को।



- (44) यह NCF-2005 निम्न लिखित 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करता है।
- (1) काम - NSS, NSQ, स्कार्टिंग, गाइडिंग
  - (2) कला - दृश्य कला, नृत्य कला, गायन कला, एवं अभिनय कला
  - (3) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा - खेलकूद तथा मिड-डे मील योजना का सुदृढीकरण
  - (4) शांति - विश्व भर में छत्ती दिना को देखते हुए जानने वाली पीढ़ी को शांति का पाठ पढ़ाया जाये।
- (45) यह NCF-2005 महिलाओं के सम्मान एवं उनकी सुरक्षा की मुख्य शिक्षा के अंतर्गत शामिल करता है।
- (46) भारत के पारंपरिक अवसरों एवं कलाओं की वास्तविक स्थल पर ले जाकर सिखाने की बात भी गयी है।
- (47) निचली कक्षाओं में बच्चों के कक्षा-कक्ष में रंग-विरंगी चित्रों आकृतियों आदि का प्रयोग किया जाये।
- (48) यह जरूरी नहीं है कि सभी विद्यालय गरीबों में ही रह रहे बल्कि विद्यालय का कलेक्टर स्थान विशेष के मौसम के अनुकूल बनाया जाये।
- (49) समावेशी एवं बालकेंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुनाकार बैकग्राउंड अथवा गतिविधि आधारित बैकग्राउंड की बात की गयी है।
- (50) यह NCF-2005 विषयों में सामाजिक विज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व देता है। जिसके द्वारा आपसी भाईचारा, सहभावना, सहिष्णुता, सांस्कृतिक, स्थल आदि की बढ़ावा देने की सिफारिश की गयी है।
- (51) गणित के अध्ययन का ~~का~~ मुख्य उद्देश्य बालक तर्क शक्ति, समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है इसके लिए बालक के जीवन से गणित को जोड़ना होगा ताकि उसकी सोच का गणितीयकरण किया जा सके।
- (52) विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक में चिन्ता, मौलिकता एवं रचनात्मक चिंतन का विकास करना है इस लिए विज्ञान के नियमों को बालक के दैनिक जीवन से जोड़ा जाये।
- (53) परिवार शिक्षण का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान बाँटना न होकर आवश्यक पक्ष अर्थात् परिवार संरक्षण पर जोर देना है जिसमें प्रदूषण, गर्भावस्था, गर्भवती, अर्थात् परिवार खतरे के लिए चिंतन शामिल है।



- (54) माध्यमिक स्तर विषयों के विभिन्न स्तर रखे जायें जैसे - गणित और संगोष्ठी जैसे विषयों के लिए सामान्य एवं उच्च स्तर पर चलाया जा सकता है।
- (55) शिक्षा का अर्थ निपुण बनाना है न कि ज्ञान का प्रतियोगिता में दाव या बच्चे को शामिल करना।
- (56) यह NCF-2005 विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र पर जोर देता है, जहाँ छात्र शिक्षक द्वारा दी गयी जानकारी को व्यक्त कर सकें न रखा मात्र के ज्ञान-प्रसार करने की प्रवृत्ति है।
- (57) इस NCF-2005 शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है।
- (58) पाठ्यचर्या से सिर्फ निर्धारित पुस्तकें ही नहीं अपितु विद्यालय के दिन भर में ऐसे बाले क्रिया कलाप भी शामिल हैं
- (59) सीखना विद्यालय के बाहर और अन्दर दोनों ही तरह होना चाहिए - वास्तविक पर्यावरण, वातावरण से सीखना।
- अब पाठ्यक्रम (Syllabus) का अर्थ - (फिक्स टॉपिक विषय)
- पाठ्यचर्या (Curriculum) का अर्थ - अनिश्चित Syllabus पुस्तक के आधार पर एन कूट सारि



\* **पढ़न कौशल** :- पढ़न कौशल दो शब्दों से मिलकर बना है पढ़न तथा कौशल

\* **पढ़न** :- किसी मुद्रित या प्रिंटेड सामग्री के शब्दों एवं चिन्हों का अर्थ ग्रहण करना ही पढ़न है।

\* **कौशल** :- किसी क्रिया या व्यवहार को बेहतर से बेहतर ढंग से करना ही कौशल है।

अर्थात् प्रिंटेड सामग्री में उपयुक्त अक्षरों चिन्हों का भली भाँति अर्थ ग्रहण करना ही पढ़न कौशल है।

\* **पढ़न के प्रकार** :- पढ़न के दो प्रकार माने गये हैं।

(1) **मुख्य/सस्वर पढ़न** :- इस प्रकार के पढ़न में छात्र विषय वस्तु को बोलकर पढ़ता है यह उन छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी है जो पढ़न की शुरुआत कर रहे हैं।

क्योंकि बोलकर पढ़ने से उनके उच्चारण या विराम सम्बन्धी गलतियों में शिक्षक द्वारा आसानी से सुधार आ सकता है।

(2) **मौन पढ़न** :- यह पढ़न का दूसरा प्रकार है। जिसमें एक छात्र किसी विषय वस्तु को बिना आवाज़ किये उपचाप पढ़ता है यह चिंतनशील पढ़न के लिए अत्यन्त उपयोगी है। जो उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

[3] \* **सस्वर पढ़न** →

① **सस्वर पढ़न के निम्नलिखित प्रकार माने गये हैं**

(A) **आदर्श पढ़न** :- इस प्रकार के पढ़न में पहले शिक्षक स्वयं एक पाठ को पढ़कर छात्रों के सामने पेश करता है ताकि छात्र सभी उच्चारण लय, उतार, चढ़ाव आदि सीख सकें उसके बाद छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाये गये पाठ को आदर्श या उदाहरण मानकर स्वयं से पढ़ते हैं।

(B) **अनुकरण पढ़न** :- इस प्रकार के पढ़न में शिक्षक पहले कुछ पढ़ता है तथा उसी के साथ-2 छात्र भी अनुकरण करते हुए दोहराते हैं।

(C) **वैयक्तिक पढ़न** :- इस प्रकार के पढ़न में एक छात्र अकेले ही पढ़ता है जैसे- अंग्रेजी के गद्यांश कक्षा में छात्रों द्वारा जारी-2 से पढ़ता।

(D) **सामूहिक पढ़न** :- इस प्रकार के पढ़न में कई छात्र एक साथ पढ़ते हैं जैसे निचली कक्षाओं में छात्रों का समूह में गिनती-पढ़ाई आदि पढ़ना।



\* सस्वर पढ़न में ध्यान रखने योग्य बातें -

- (1) शुद्ध उच्चारण
- (2) उचित विलम्ब स्थिति
- (3) लय या उतार-चढ़ाव
- (4) भाव अंगिका (नेट्टे का दाब भाव)
- (5) उचित मुद्रा (पलते फिरते पढ़ना चाहिए) न कि स्थिर रहकर
- (6) स्वर माधुर्य
- (7) अंग संचालन (पढ़ते वक्त हाथ हिलाते-2 पढ़ना) न केवल मुँह से बोलकर
- (8) अर्थ प्रतीति (दाब-भाव से अर्थ प्रतीति बनाना)
- (9) स्वाभाविकता

(2)\* मौन पढ़न :- जब किसी विषयवस्तु को बिना आवाज़ किये सुपचाप पढ़ा जाता है तो उसे ही मौन पढ़न कहा जाता है।

\* मौन पढ़न के व्यापक :-

- (1) ध्यान का काम होना
- (2) समय की वृत्ति
- (3) अवकाश का सदुपयोग
- (4) सिर्फ नेत्र एवं मस्तिष्क संक्रिय
- (5) चित्त शील पढ़न में सहायक
- (6) स्वअध्ययन में सहायक
- (7) एकाग्र चित्तता बनाने में सहायक

\* मौन पढ़न के दो प्रकार माने गये हैं।

(A) गम्भीर पढ़न :- इस प्रकार के पढ़न में पाठक विषयवस्तु को ध्यान देकर बारीकी से पढ़ता है। सचिंत बट पढ़ी जा रही विषयवस्तु पर निपुणता प्राप्त करना चाहता है।

(B) द्रुत पढ़न :- इस प्रकार के पढ़न में पाठक विषयवस्तु को तेजी से सीधे-सीधे आगे समझने के लिए पढ़ता है। जैसे मनोरंजन साहित्य के लिए द्रुत पढ़न।



- \* पढ़ने की शैली के स्तर - 2: पढ़ने की शैली के दो स्तर माने जाते हैं।  
 (A) मुफ्त - इसमें पाठक का खड़े होकर पढ़ने का ढंग एवं अंग संचालन आदि आता है।  
 (B) उतार-चढ़ाव लय - इसमें पाठक का उच्चारण उतार-चढ़ाव तथा विराम आदि के प्रति जागरूकता देखी जाती है।

\* पढ़ने की शैली के स्तर - 3:

- (1) अशुद्ध उच्चारण में पढ़ना
- (2) नाक के बल पढ़ना
- (3) सर हिला-2 कर पढ़ना
- (4) कर्कश आवाज़ में पढ़ना
- (5) भावहीन होकर पढ़ना
- (6) विराम चिह्न की ध्यान न देकर पढ़ना
- (7) बिना समझ पढ़ना
- (8) रट-रट करते की तरह पढ़ना

\* पढ़ने की शैली की विधियाँ - 2:

विद्वानों ने पढ़ने की शैली की निम्न लिखित विधियाँ मानी हैं -

- (1) वर्ण विधि - इस विधि में पहले वर्णों से शुरुआत की जाती है तथा पहले स्वर वर्ण और बाद में अंत्य वर्णों की सिखाया जाता है।
- (2) शब्द विधि - यह विधि पूर्ण से अंश तथा शब्द से मिलाती है। शब्दों का प्रयोग करती है। इस लिए इसे एक मनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। क्योंकि इसमें पहले शब्द और बाद में वर्ण आदि का संघ कराया जाता है - पवन ⇒ (प + व + न) तान
- (3) वाक्य विधि - इस विधि में शुरुआत ही वाक्य से होती है तथा वाक्य से शब्द और शब्दों से वर्ण आदि सिखाये जाते हैं।
- (4) ध्वनि साम्य विधि - इस विधि का मुख्य उद्देश्य उच्चारण का ज्ञान करना है तथा उच्चारण सिखाने के लिए समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ रखा जाता है।



- (5) कविता विधि →  
दोटे बच्चों को कवितार्पण पसंद होती है। इस लिए इस विधि कविता द्वारा सिखाया जाता है।
- (6) साहचर्य विधि →  
इस विधि में बालक को वर्ण आदि पढ़ना सिखाने के लिए वर्णों को इन वस्तुओं से जोड़ा जाता है जो वे पहले से जानते हैं।
- जैसे - [आ]  आम/पूरान

\* पढ़न कौशल के उद्देश्य :-

- (1) पढ़न में गति लाना
- (2) वर्णमाला, मात्रा आदि का राम करना
- (3) उच्चारण में शुद्धता लाना
- (4) पढ़न में प्रवाह लाना
- (5) धारा प्रवाह पढ़ने में सहायता करना
- (6) पढ़न में आत्म विश्वास लाना
- (7) पढ़न में शुद्धता लाना
- (8) विराम चिह्न आदि का लाभ करना
- (9) पढ़न में स्वाभाविकता लाना



- \* समावेशन का अर्थ बहिष्कृत न करके अपितु सम्मिलित करने से है।  
यद्यपि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य बालकों के साथ उन विविध बालकों को भी शिक्षा में शामिल करने से है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक या किसी अन्य कारक में सामान्य विद्यार्थियों से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन रखते हैं इसलिए ऐसे बालकों को विविध बालक भी कहा जाता है।

\* समावेशन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें :-

- (1) समावेशन पूर्ण या अर्ध हो सकता है।
- (2) समावेशन से पहले वह रिक्त या <sup>आंशिक</sup> कमी पूरी भी पाथे प्रत्येकी वषट से विविध बालक सामान्य बालक के साथ कहा नहीं ले पा रहा था।
- (3) समावेशन में भी कहा या स्कूल सामान्य होगा लेकिन शिक्षण विधि वैयक्तिक या विद्यार्थी की प्रकृत के अनुसार होगी समावेशन के वास्तविक उत्तरों का ध्यान रखा जायेगा है।

\* समावेशी शिक्षा के पक्ष में तर्क :-

- (1) मानवीय पक्ष से तर्क
- (2) लोकतांत्रिक पक्ष से तर्क
- (3) सामाजिक पक्ष से तर्क
- (4) मनोवैज्ञानिक पक्ष से तर्क

\* विविध बालक :- (परिभाषाएं)

- (1) कुल रैंक के अनुसार :- विविध बालक वह बालक जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या सैवगात्मक दृष्टि से सामान्य समूह वाले बालकों से इतना अलग है वह सामान्य विद्यालय की नियमित शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता इसलिए विविध शिक्षा या प्रक शिक्षण या सेवा चाहिए है।
- (2) क्रौ एवं क्रौ के अनुसार :- विविध शब्द या विविध प्रकार के बालक ऐसे गुणों की रखने वाले अस्तित्वों या बालकों के लिए किया जा सकता है जो किसी न किसी प्रकार से सामान्य अस्तित्वों या बालकों से अलग है इसलिए वे हमारे आकर्षण के लिए बन जाते हैं।



\* विशिष्ट बालकों के प्रकार :-  
1. हेबर्ड एवं औरलैन्सकी ने विशिष्ट बालकों के निम्न लिखित '9' प्रकार बताये हैं जो निम्न लिखित हैं।

- (1) प्रतिभाशाली बालक
- (2) मानसिक मंद बुद्धि बालक
- (3) अधिगम असमर्थ बालक
- (4) व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक
- (5) संज्ञा रोग या भाषा दोष ग्रसित बालक
- (6) श्रवण दोष वाले बालक
- (7) दृष्टि दोष वाले बालक
- (8) शारीरिक या सन्य प्रति दोष मुक्त बालक
- (9) गंभीर एवं बहुदिशांगता वाले बालक

2. रिली और डेविस ने विशिष्ट बालकों के निम्न लिखित 6 प्रकार बताये हैं।

- (1) प्रतिभाशाली बालक
- (2) मानसिक मंद बालक
- (3) अधिगम असमर्थ बालक
- (4) मानसिक रोग ग्रसित बालक
- (5) विकलांग, दिव्यांग बालक
- (6) बहुविकलांगता या बहुदिशांगता से ग्रसित बालक

\* प्रतिभाशाली बालक :-

- (1) परिभाषाएं - प्रतिभाशाली बालक उन एक प्रतिभा विचारियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनका शक्ति है जो बाकी बालकों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं।
- (2) क्रां एवं क्रां के अनुसार → (A) प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो 130+ बुद्धि लक्ष्य रखते हैं।  
(B) पाठ्यक्रम के अलावा गणित, संगीत, अभिनय आदि में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।
- (3) होविंगहार्ट के अनुसार - प्रतिभाशाली बालक उन बालकों को कहते हैं जो निरंतर किसी क्षेत्र में कुशलता का परिचय देते हैं।
- (4) प्रतिभाशाली बालकों के लिए सफल विद्यालय कार्यक्रम बनी हो सकती है जो उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करे।







- (18) खोजी होते हैं
- (19) सीखने को तयार होते हैं।
- (20) उन्नोती न मिलने पर रुक जाते हैं।

\* प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा :-

- (1) विशिष्ट विद्यालय (नवोदय विद्यालय)
- (2) विशिष्ट कक्षा सामान्य विद्यालय में
- (3) अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा लघु समस्या समाधान करवाना या सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा खेलकूद, संगीत, कला, मनोरंजन आदि में भी रुचि लेने के लिए कहना।
- (4) छात्रवृत्ति या पुरस्कार देना।
- (5) कक्षा-2 निचली कक्षा के विद्यार्थियों को उनके द्वारा मार्गदर्शन करना।
- (6) इनको कक्षा में ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिसमें इनकी समस्या का उपयोग।
- (7) गणित विज्ञान अनुसंधान आदि तार्किक विषयों में रुचि लेने के लिए कहना।

\* मंद बुद्धि बालक :-

परिभाषा :-

- (1) को एवं को के अनुसार :- ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं।
- (2) पोलक एवं पोलक के अनुसार :- मंद बुद्धि बालकों को कम सीमा बुद्धि बालकों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता अपितु ये, अवधार एवं व्यक्तित्व में काफी दृढ़ तक सामान्य बालक जैसे होते हैं।
- (3) अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियन्सी के अनुसार :- मानसिक मन्दता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता या समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ दिखाई पड़ती है। ये छुपी है। जो बिकासमक अवधि में दिखाई पड़ती है।

\* मंद बुद्धि बालकों के प्रकार :-

(AAMD) American Association on Mental Deficiency के अनुसार मंद बुद्धि बालकों को चार निम्न प्रकार है।



## (1) सामान्य मन्दता :-

ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होती है। बड़े बच्चे पर इसकी बुद्धि लब्धि 8 से 11 वर्ष के बालक के बराबर होती है फिर भी बाद में ये दैनिक कार्यों में निपुण हो जाते हैं।

## (2) अल्प मन्दता :-

ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 36 से 51 के बीच होती है इनमें समायोजन की कमी होती है फिर भी इन्हें सीखना सिखाकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

## (3) गंभीर मानसिक मन्दता :-

ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि ~~36~~ 15 से 20 से 35 के बीच होती है ये अपने दैनिक कार्यों में भी व्यापार निर्भर होते हैं बहुत सीखने पर कुछ सीख सकते हैं।

## (4) गहन मन्दता :-

ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है इन्हें आजीवन देखरेख की जरूरत पड़ती है और अल्पायु होते हैं।

## \* विशेषताएँ :-

- (1) कम IQ
- (2) समायोजन की कमी
- (3) शारीरिक विकृति (ठोड़ी सिर, मोटी नाक, मोटे हाँट, मोटी आँखें आदि)
- (4) अधिगम स्थानांतरण कमजोर होता है।
- (5) पर निर्भरता पायी जाती है (उत्थिपन न लेपना)
- (6) कमजोर ग्रहण शक्ति
- (7) कमजोर तार्किक चिंतन
- (8) अभूत चिंतन में कमजोर
- (9) संकेतों के कमजोर प्रकटीकरण
- (10) कमजोर स्मृति
- (11) कमजोर शब्द भण्डार
- (12) अवधारणाओं समझने में ज्यादा समय देना
- (13) निम्न विद्यालय उपलब्धि
- (14) साफ सफाई में कमजोर
- (15) अपना भी ध्यान रखने में लापरवाह



\* मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा :-

- (1) प्रदर्शन विधि द्वारा
- (2) मांटेसरी प्रणाली द्वारा या इत्रियों के प्रशिक्षण के द्वारा
- (3) रोजगार देने वाली शिक्षा पर शुरु से जोर दें
- (4) इन्हें खुद का खजाना रखने के लिए प्रशिक्षित करें
- (5) इन्हें दैनिक जीवन के कार्यों जैसे नहाने, कपड़ा बदलने, आदि प्रशिक्षण दें।
- (6) इन्हें सीखो और कमाओ जैसे रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जीवन-यापन के लिए प्रशिक्षण दें।

(7) विशेषज्ञता ।

\* [ समस्यात्मक बालक ]

परिभाषा :-

- (1) **प्रां. वेल्लेन्टाइन के अनुसार :-** समस्यात्मक बालक रात उन बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनका व्यवहार और मस्तिष्क किसी न किसी रूप में अन्य बालकों से असामान्य या असामान्य है और जो कक्षा चलने में बाधा डेकर करते हैं।
- (2) **बिटी के अनुसार :-** ऐसा बालक जो सामाजिक नियमों से विचलित हो गया है। समस्यात्मक बालक कहलाता है।

\* समस्यात्मक बालक के प्रकार :-

- (1) चोरी करने वाले बालक
- (2) प्रतिमाशाली बालक
- (3) हिंसा या प्रगल्भ करने वाले बालक
- (4) स्कूल से भाग जाने वाले बालक
- (5) झूठ बोलने वाले बालक
- (6) गृह कार्य न करने वाले बालक
- (7) कक्षा में देर से आने वाले बालक

\* चोरी करने वाले बालकों की शिक्षा एवं सुधार के उपाय :-



- (1) उन्हें चौर का तमगा न दें।
- (2) भाला-सीता इनकी झलरी आवापकता पूरी करें।
- (3) च्यापा पैसा देकर अधिकारक आदत न बिगाड़ें।
- (4) उन्हें चोरी से होने वाली हानियाँ एवं दुष्ट से अलग करायें।
- (5) चोरी करने पर उन्हें एक चेतावनी दें लेकिन डर न पैदा करें।
- (6) इनकी पृष्ठ भूमि का अध्ययन करें तथा कारणों का पता लगाकर हमें सुधार लायें।

#### \* प्रतिभाशाली बालक -:

- (1) इसे कहा में व्यस्त रखें।
- (2) इनके लिए समृद्ध कार्य क्रम अपनायें अर्थात् निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा उन्हें खेलकूद, संगीत, कला आदि में भी हाथ आपमाने का मौका दें।
- (3) उन्हें कहा में या तो सामान्य विद्यार्थियों से चुनौती पूर्ण कार्य दें या फिर च्यापा कार्य दें।

#### \* दिला या सगाडा करने वाले बालकों की शिक्षा -:

- (1) उन्हें सगाडे से होने वाली हानियाँ एवं दुष्परिणामों के बारे में बतायें।
- (2) उन्हें आयाम, योगा, आदि के हाथ कोंध पर नियंत्रण पाना सिखायें।
- (3) अत्यंत दिसक, अवधार, करने पर इनके अधिकारकों को सूचित करें।
- (4) उन्हें अच्छी आदती एवं संस्कारों की शिक्षा दें।
- (5) उन्हें बतायें कि सगाडा अत्यंत समस्या का हल नहीं है। इस लिए सहनशक्ति एवं सहनशक्ति विकसित करने का प्रशिक्षण दें।

#### \* अतिसक्रिय बालकों की शिक्षा -:

ऐसे बालक अपनी शारीरिक गतिविधियाँ पर नियंत्रण नहीं कर पाते अत्यंत सक्रिय होना ही इनकी समस्या है।

- (1) उन्हें किसी झलरी कार्य में लगाकर इनकी संक्रियता का उपयोग करें।
- (2) उन्हें शामपट्ट साफ करने, पुस्तकालय में किताबें व्यवस्थित करने या स्कूल के पौधों की सिंचाई आदि का कार्य दें।
- (3) उन्हें आयाम, योगा आदि के हाथ अपनी प्रति सक्रिय शारीरिक गतिविधियों पर काबू पाना सिखायें।



\* छूठ बोलने वाले बालकों की शिक्षा :-

- (1) इन्हें बताया कि छूठ बोलने से दृक्कृत नहीं बदलती।
- (2) इन्हें इस बात से भी अवगत कराया कि एक छूठ के कारण कई छूठ बोलने पड़ सकते हैं।
- (3) यह भी सिखाया कि अगर आपकी यह छूठ बोलने की आदत अगर पता चली तो लोग आपके सच को भी छूठ मानेंगे।
- (4) कई बार बालक सिर्फ कक्षा में मजाक बनाने या दण्ड से बचने के लिए छूठ बोलते हैं इस लिए अपसुक्त वातावरण में शिक्षा है।

\* गृह कार्य न करने वाले बालक :-

- (1) इन्हें गृह कार्य इनकी समता के अनुसार है।
- (2) गृहकार्य ही सबकी संतुष्ट एवं उचित मात्रा में है।
- (3) अगर बालक ने गृहकार्य नहीं किया है तो दण्डित न करें अपितु उसके महत्व समझाएं क्योंकि कई बार बालक संभावित दण्ड से बचने के लिए भी छूठ बोलते हैं।

### [ अपवर्णित बालक ]

वे बालक जो बचपन में किसी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण अधिगम में या तो पिछड़ जायें या फिर योग्यता होने पर भी उचित अधिगम नहीं कर पायें उन्हें अपवर्णित बालक कहा जायेगा।

\* अपवर्चन के प्रकार :-

- (1) आर्थिक अपवर्चन (घर की गरीबी के कारण अधिगम का रुचि के अनुसार न होना)
- (2) पारिवारिक अपवर्चन (अनाथ बच्चे, या वे बच्चे जिनकी ज़िम्मेदारी उनके माता के मरने के कारण पड़ती है)
- (3) शारीरिक अपवर्चन (शारीरिक समस्या के कारण) शरीर का कोई अंग विकृत हो
- (4) सामाजिक अपवर्चन (किसी सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र का निवासी होना या सुदूर ग्राम में रहना)
- (5) संवेगात्मक अपवर्चन (बचपन में परिवार से, शिक्षकों से या मित्रों आदि से जो प्रेमसाधन न मिलें तो वह हताशाग्रस्त होता है। यह आपस में सम्बन्ध न मिल पाना संवेगात्मक अपवर्चन है।)



\* अपव्यक्तियों की शिक्षा -

(A) आर्थिक अपव्यक्तियों की शिक्षा -

- (1) ऐसे बालकों को सकारात्मक मिड-डे मील योजना से जोड़ रही है।
- (2) ऐसे बालकों को छात्रवृत्ति दी जाये।
- (3) इनके लिए मुफ्त में पुस्तकें, लेखनी, स्कूल बैग आदि की व्यवस्था की जाये।
- (4) ऐसे बालकों को जलरत पड़ने पर मार्ग लेनाकर कोई सावधानिक प्रशिक्षण भी दे सकते हैं।

(B) पारिवारिक अपव्यक्तियों की शिक्षा -

- (1) ऐसे बालकों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं मित्रवत व्यवहार रखें।
- (2) इनसे सहनशक्ति रखें इनका सम्मान न उड़ाये।
- (3) इनके समाराम्यक संवेगों का प्रशिक्षण दें।

(C) शारीरिक अपव्यक्तियों की शिक्षा -

- (1) ऐसे बालकों को अयोग्य या प्रशिक्षण इस तरह से देना कि उनकी दिव्यांगता बाधा न उत्पन्न करे। जैसे - एक मुक बधिर बालक को देखकर रिफोर्डे तैयार करने के लिए कहना
- (2) इन बालकों को हम संकेत चिन्हों या संकेत भाषा की सहायता से भी शिक्षा दे सकते हैं।
- (3) निषेधित साहजिक आखों का उपचार आदि के साथ इसका कुछ हद तक निराकरण भी किया जा सकता है।

(D) सामाजिक अपव्यक्तियों की शिक्षा -

- (1) ऐसे बालकों को पंगली या असम्मान न करें।
- (2) इनके अन्य बच्चों के साथ घुलने-मिलने का प्रशिक्षण दें।
- (3) उन्हें आधुनिक तकनीक या अद्यतन शिक्षण सामग्री आदि के प्रयोग से शिक्षा दें।



[ सृजनशील बालक ]

- \* सामान्य अर्थ में परम्परा से अलग कुछ भी कह देना खूबनशीलता है।  
जैसे - कोई नया विचार देना, कोई नई वस्तु बना देना या किसी कार्य में  
एक नये तरीके करके पहले से कम समय लेना।

\* कुछ विद्वानों की परिभाषाएँ :-

- (1) क्रॉ एवं क्रॉ के अनुसार :- सृजनशीलता मौलिकता के परिणामों को संकलन करने की मानसिक क्रिया है।
- (2) जैम्स ड्रेवर के अनुसार :- सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या नवीन उत्पादन से जुड़ी है।
- (3) प्रॉ. रुश के अनुसार :- सृजनात्मकता वास्तव में एक मौलिकता क्रिया है जो वास्तव में किसी भी क्रिया में घटित हो सकती है।
- (4) गिलफोर्ड के अनुसार :- सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है जैसे-विचार, वस्तु, जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यह एक नवीन सृजन है जो किसी समस्या का समाधान, प्रस्तुत करता है।
- (5) विलसन के अनुसार :- सृजनात्मकता वास्तव में मानव की वह शक्ति है जो एक को नया रूप देकर नये विषय वस्तु का निर्माण करती है। तथा नये सम्बन्धों भी निर्माण करती है।

\* सृष्टनात्मकता के तत्व :-

# पॉल ग्रैन्स ने सृष्टिनात्मकता के चार तत्व माने हैं जो निम्न लिखित हैं।

- (1) धारा प्रवाह (Fluency)
- (2) विविधता (Variety)
- (3) विस्तारण (Flexibility) (Elaboration)
- (4) ~~स्वतन्त्रता~~ मौलिकता (Spontaneity)

\* सृजनात्मक चिंतन के चरण :-

# ग्राहम वाल्स एवं जॉफ मैन् ने सूर्यनामक चिंतन के निम्नलिखित 4 चरण बताये हैं।



(1) आयोजन / तैयारी (Preparation)

(2) उद्भव / सुजावस्था (Incubation) <sup>वह अवस्था जब चिंतन बिना किसी निष्कर्ष के</sup>

(3) उद्भाषण / प्रकाशन (Illumination) <sup>अचानक ही रास्ता या हल निकलना, अचानक ही</sup>

(4) सत्यापन / मुल्यांकन (Verification) <sup>यह पता करना कि बनाया गया नियम या वस्तु</sup>  
साक्षात् के अनुरूप है या नहीं।

\* सृजनात्मकता की विशेषताएं:-

(1) सृजनात्मकता सार्वभौमिक है।

(2) सृजनात्मकता खुले विचार वालों में होती है।

(3) सृजनात्मकता में कुछ नया करने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

(4) सृजनात्मकता धन्य-पात या प्रकृति प्रदत्त भी हो सकती है।

(5) सृजनात्मकता में अहं का समावेश होता है।

(6) सृजनात्मकता एवं बुद्धि में धनात्मक संबंध है लेकिन यह पूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सृजनात्मक हो।

(7) सृजनात्मकता बहुविध / अपवारी / विविध चिंतन से प्रकट होती है।

\* सृजनशीलता के परीक्षण :-

# गिल फोर्ड एवं टॉरेन्स ने मिलकर सृजनशीलता के निम्न लिखित 4 परीक्षण बनाये हैं जो निम्न लिखित हैं।

(1) उत्साह सुधार / प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट परीक्षण - पदार्थों से बने किसी उत्पाद को और बेहतर बनाने

(2) चित्र निर्माण - एक नया चित्र बनाना तथा बाह्य दिये गए चित्रों को भी चित्र में शामिल करना

(3) दिन के डिब्बों का परीक्षण - एक ही प्रकार के दिन के डिब्बों को सिरिये भाषणों लेकिन सभी अलग-2 नयी आकृति बनाने

(4) बुल परीक्षण - एक वृत्त के अंदर गए कई आकृतियों को अलग-2 नयी आकृतियों द्वारा प्रदर्शित करना।

\* सृजनशील बालक के गुण :-

(1) परम्परा से अलग चार्ज की योग्यता

(2) ठारिकी पर ध्यान देने की योग्यता

(3) किसी समस्या का नवीन समाधान ढूँढने की योग्यता

(4) भिन्नता स्वाभाव

(5) कुछ अलग-2 करने की चाहत

(6) क्रिया या नया प्रयोग करने वाले बालक

(7) मौलिकता या नवीनता



\* सृजनशील बालकों की शिरा - 2

- (1) कुछ नया करने की आदत को विकसित न समझें
- (2) रङ्गी कागज से नवीन वस्तु में या धिलोंन आदि बनाने के लिए करें।
- (3) ऐसे बालकों को विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान या किसी क्रिया प्रयोग आदि के लिए प्रोत्साहित करें
- (4) कक्षा में रचनात्मकता पर जोर न दें। तथा यह आशा न करें कि सभी बालक कक्षा में लिखें एक ही प्रकार के रङ्गे-रङ्गों उत्तर दें
- (5) कक्षा में नवीन विचारों एवं नये दृष्टिकोण का स्वागत करें।
- (6) गणित आदि पठारों समय कक्षा में नवीन समाधान या समाधान लगाने की विधि बच्चों को प्रोत्साहित के लिए करें।

\* सृजनात्मकता के सिद्धान्त - 2

- (1) सृजन का सिद्धान्त (कॉन्टलर) सृजनात्मकता ज्ञानक ही आती है।
- (2) चमक का सिद्धान्त / रुपान्तरण का सिद्धान्त (फ्रायड) हम सपनी दमित स्वरूपों को एक नयी तरीके से प्रकट करते हैं कामवासना से पराप्त मन को कवि मन में
- (3) चमक का सिद्धान्त - सृजनात्मकता चमक पात मुण है।
- (4) वातावरणीय सिद्धान्त - सृजनात्मकता वातावरण द्वारा प्रेरित होती है जैसे किसी शौ का किसी रंग से नया रंग बनने के लिए
- (5) प्रसन्नता का सिद्धान्त इस मत के मानने वाले कहते हैं कि सृजनात्मकता में "दोषा मस्तिष्क" द्वारा प्रेरित है।
- (6) देवीय प्रेरणा का सिद्धान्त (प्लैटो) सृजनात्मकता ईश्वर की है।
- (7) अस्तित्ववादी सिद्धान्त - नील्स, डोर्बिन आदि मानते हैं कि सपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मानव को कुछ नया बनाता रहेगा
- (8) संभवता का सिद्धान्त कुछ नया बनाकर अपने से कुछ होता है।

\* सृजनात्मकता के स्तर - 2

आई. ए. देला ने सृजनात्मकता के निम्न लिखित 5 स्तर बताये हैं।

- (1) उत्पादक सृजनशीलता
- (2) अनुसंधानात्मक सृजनशीलता
- (3) नावाचाही सृजनशीलता
- (4) अभिव्यक्ति सृजनशीलता
- (5) उद्घाटन सृजनशीलता

Note: गैरेंस ने सृजनशीलता बालकों के 84 गुण बताये हैं।



### [ पिछड़ा बालक ]

वह बालक जो मानसिक शक्ति, बुद्धि या फिर शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं।

\* परिभाषाएं:-

- (1) **सिरिल बर्टे के अनुसार** → पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी उम्र के शैक्षिक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है।
- (2) **बार्टन हॉल के अनुसार** → पिछड़े बालक वे बालक हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है।
- (3) **शौनैल एवं शौनैल** → पिछड़ा बालक वह बालक है जो समान उम्र के बालकों के बीच निम्न शैक्षिक उपलब्धि दर्शाता है।

**Note** सिरिल बर्टे ने पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि (EQ) पानन के लिए निम्न लिखित सूत्र दिया है।

$$\text{शैक्षिक लब्धि (EQ)} = \frac{\text{शैक्षिक आयु (EA)}}{\text{वास्तविक आयु (CA)}} \times 100$$

या

$$EQ = \frac{\text{मानसिक आयु} + \text{वास्तविक आयु}}{2}$$

\* पिछड़े बालकों के लक्षण :-

- (1) शीघ्र बुद्धि (बुद्धि लब्धि 70-80 कम = मरान सिरिल बर्टे के अनुसार)
- (2) मानसिक गतिविधियों की अस्वरूपता
- (3) अधिक असफलता
- (4) पलायनवादी या भगोड़ापन
- (5) कार्य करते समय स्वतंत्र निर्णय न कर पाना
- (6) अन्य सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि कम होना
- (7) स्कूल जाय आवेष्टित दत्तकार्य न कर पाना
- (8) घर से सीखना या घीमा सीखना
- (9) जीवन के प्रति निराशा / निस्सहायता का भाव
- (10) समय न मिल पाने के कारण शिक्षा क्षेत्र में पीछे रह जाना



\* पिछड़ेपन के कारण -

- (1) विद्यालय का वातावरण
- (2) निर्धनता
- (3) माता-पिता की अशिक्षा
- (4) कमजोर बुद्धि लक्ष्य
- (5) परिवार का बड़ा आकार
- (6) शारीरिक रोग
- (7) स्वास्थ्य सम्बंधी दोष
- (8) वातावरण का प्रभाव

\* पिछड़े बालकों के प्रकार -

- (1) मानसिक मंद बालक
- (2) शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक
- (3) शिक्षा अभाव में पिछड़े बालक
- (4) किसी क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने के कारण एक अन्य क्षेत्र में पिछड़ा परिवर्तनीय बालक
- (5) वातावरण परिस्थितियों आदि के कारण पिछड़ा बालक

\* पिछड़े बालकों की शिक्षा -

- (1) धीमी गति से अधिगम की युक्तियाँ करना
- (2) प्रत्येक विधि का उपयोग करना (ज्ञापन विधि देना)
- (3) श्रीली सीन कक्षा में
- (4) सरल एवं रचनात्मक विषय
- (5) निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण
- (6) आत्म विश्वास पैदा करने की शिक्षा
- (7) विशेष विद्यालयों की व्यवस्था
- (8) हटप श्रम साधनों का प्रयोग
- (9) आर्थिक सहायता
- (10) गतिविधि आधारित शिक्षा
- (11) मावसायिक शिक्षा



## [ दिमांग बालक ]

\* दिमांग बालकों को निम्न लिखित भागों में बाँट सकते हैं।

## अपंग बालक

- अंधे एवं बहरे बालक (Blind & Deaf child)
- बाणी दोष वाले बालक (इकलाने, तुतलाने वाले बालक)
- झिल्ली रोग वाले बालक
- कौमल्य या निर्बल या दुर्बल बालक

## ① अपंग बालक -

ऐसे बालक धिक्का या तो कोई अंग दोषयुक्त है या पक्ष्य से विकृत है या नहीं है। ऐसे बालक अपंग बालकों की श्रेणी में आते हैं। —  
इन्हें कुछ "अतिरिक्त प्रावधान" के साथ सामान्य कक्षा में समावेशी शिक्षा में रखा जा सकता है।

## ② अंधे बालक (दृष्टि दोष युक्त बालक) -

ऐसे बालक को दो भागों में बाँट सकते हैं। —

- (1) अल्पदृष्टि दोष युक्त या अर्धे अर्धे / या कम साफ़ देखने वाले बालक
- (2) पूर्ण दृष्टि दोष / पूर्ण अंधे या विबुल न देख पाने वाले बालक या वह किसी को भी रंग नहीं देख पाएँ।

## (1) अल्प दृष्टि दोष युक्त बालक → (पहचान)

- \* ऐसे बालक किताबें आदि या तो इतनी या फिर आँखों के स्क्रीन नज़दीक रख सकते हैं।
- \* कक्षा में बार-बार साफ़ न दिखायी देने की शिक्षा दे सकते हैं।
- \* ज्यादा देर तक ही बिटु पर देखने का प्रयास करने से उनकी आँखें लाल हो जाती हैं या फिर आँखों से पानी आने लगता है।
- \* इनमें से कुछ बालक नज़दीकी तथा कुछ बालक इतनी दूरी पर साफ़ नहीं देख सकते हैं।



\* असंज्ञि दोष युक्त बालकों की शिक्षा -

- (1) इनकी आँखों का उपचार कराये।
- (2) पढ़ाई पढ़ने पर आँखों की रोगशुद्धी कराकर दिखाने वाले परामर्श प्रदान करें।
- (3) इनकी किताबें मोटे-2 एवं साफ़ अक्षरों में लिखी हैं।
- (4) अगर कोई अन्य अवस्था न हो तो ऐसे बालकों की कक्षा में आगे बढ़ाये।
- (5) या तो रयामपट्ट इनके लघुदीर्घ दो या फिर अगर सामान्य कक्षा में से आगे बढ़ेंगे तो बड़े अक्षर लिखे जाएँ।

\* पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा -

- (1) ऐसे बालक सामान्य कक्षा का लाभ नहीं उठा सकते हैं इसलिए इसे अलग विद्यालयों में प्रशिक्षित किया जाए।
- (2) व्यक्ति ये देख नहीं सकते इसलिए इनके प्रशिक्षण में इक्षिप्त आचारित शिक्षा पर जोर दिया जाए।
- (3) इसे सिखाने के लिए "ब्रेल लिपि" का प्रयोग किया जाए जो फ्रांस के लुइस ब्रेल द्वारा विकसित की गयी जो छुद एक ध्वनि है इसमें 5 बिंदु हैं।
- (4) भारतीय ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु हैं।

\* श्रवण दोष युक्त बालक -

श्रवण दोष-युक्त बालकों को भी दो भागों में बाँट सकते हैं।

- (1) असंश्रवण शक्ति वाले बालक
- (2) पूर्णतः श्रवण शक्ति रहित बालक। मुक एवं बधिर बच्चे लात्स

असंश्रवण शक्ति वाले बालक की पहचान -

- (1) इसे सुनने में काफी ध्यान लगाना पड़ता है।
- (2) कई बार से कक्षा में सामान्य आवाज़ पर बोलने वाले शिक्षक से कम सुनें की शिकायत करते हैं।
- (3) ऐसे बालक ज्यादातर कुछ सुनने के लिए एक कान पर उंगली रखने का प्रयोग करते हैं।



- \* अल्प श्रवण शक्ति वाले बालकों की शिक्षा -
- (1) इसे आवाज बनाकर सुनाने वाले कण-घंटा आदि प्रयोग करें
  - (2) हो सके तो उनकी कम श्रवण शक्ति का उपचार करने के लिए चिकित्सक का सहाय ले।
  - (3) या फिर कोई अन्य विद्युत न होने पर इसे कक्षा में जागे बैठाये।
  - (4) ऐसे बालकों को ऐसी जगह बैठाये जहाँ से ये शिक्षक के हाव-भाव आसानी से देखकर उगा कम सुनते हैं तो भी समझ सके।

- \* मुक्त वगैर पूर्ण श्रवण शक्ति रहित बालकों की शिक्षा -
- (1) इन्हें संकेत भाषा द्वारा सिखाये
  - (2) इन्हें स्तुप् की हाव-भाव द्वारा कम प्रकट करना सिखाये
  - (3) ऐसे बालकों को किसी प्रकार की आवश्यक शिक्षा भी दे सकते हैं।
  - (4) यहाँ नौकरी करने पर बोल न पाना एक कमी न हो जैसे- आँकड़े आदि लिखना या कम्प्यूटरी आदि पर रिकॉर्ड तैयार करना।

### [ अधिगम अधमता ]

- (1) अधिगम अधमता शब्द का पहला प्रयोग "1963 में सैन्नुअल किर्क" ने किया
- (2) अधिगम अधमता का मतलब मुख्यतः सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति से है।
- (3) किर्क के अनुसार - अधिगम अधमता को भाषा पठन, लेखन या गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या एक से अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विवृति या अवलोकन विकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो संभवतः मस्तिष्क, कार्य विवृति या संवेगात्मक, संज्ञा आधारीक, विचारों का परिणाम है न कि मस्तिष्क की मंदता संबंधी अधमता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन का कारण।

- \* अधिगम अधमता की विशेषताएँ -
- (1) अधिगम अधमता परिवर्तनशील या -पर होती है।
  - (2) उचित आयाज द्वारा किसी भी अधिगम अधमता को दूर किया जा सकता है।
  - (3) यह एक-एक विकास है न कि बीमारी की।
  - (4) कुछ समय बाद अधिगम स्वतः स्वयं हो जाती है।
  - (5) व्यापक अधिगम अधमता में मानवैज्ञानिक भी होती है।



\* अधिगम असमता के प्रमुख लक्षण -

- (1) उपर्युक्त आचरण न करना
- (2) स्वयं के प्रति लापरवाही
- (3) ध्यान का आसानी से भटक जाना
- (4) संबैज्ञानिक अस्थिरता
- (5) सामान्य से ज्यादा सक्रियशीलता
- (6) कार्य की मंद गति
- (7) प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष

\* प्रमुख अधिगम असमताएं -

- ① डिस्लेक्सिया → पढ़ने विकार
- ② डिस्ग्राफिया → लिखने विकार
- ③ डिस्कैलुलिया → गणना संबंधी दोष
- ④ डिस्फेजिया → भाषा संबंधी या सम्प्रेषण संबंधी विकार
- ⑤ डिस्मैक्सिया → लिखने, पढ़ने, गणना करने या चित्रांकन से जुड़ा विकार
- ⑥ डिस्टिमिया → तनाव विकार (परीक्षाओं आदि के दौरान)
- ⑦ डिस्मेशिया → याददात कमजोर होने का विकार (बीमारी आदि के बाद)
- ⑧ न्यून अवधान विकार → ध्यान पकड़ी-2 भटकना
- ⑨ स्थलीनता → केवल सुई में गुम रहना
- ⑩ विपुल चरमोच्च विकार → प्रत्यक्षीकरण संबंधी असमता
- ⑪ ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिमैज विकार → श्रवण संबंधी असमता
- ⑫ इक्लाना इलाय (संबन्धित वाक्य आग (Prolonged Speech))
- ⑬ तुलना
- ⑭ सक्रिय सम्बन्धन समता संबंधी विकार
- ⑮ डिस्ऑर्थोग्राफिया → वर्तनी संबंधी विकार (कठिनाई) → (लिखने) > सम्बन्धी (पढ़ने)

YouTube // Telegram  
STET-Asperger-SATYAM



सुपर TET

STET - Aspirant - SATYAM

[ My - Handwritten - Notes ] शिक्षण कार्य

Subscribe - YouTube channel → STET - Aspirant - SATYAM

All - Notes - STET / UPTET / CTET





